विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 2854 [24/3/2025] परिशिष्ट "ब"

मध्य प्रदेश शासन [क्र. 2854]

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ–भवन, भोपाल 462004

:: आदेश::

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2022

क्रमांक पी–1033819/2022/2/एक– राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेश राठौड़ (आर आर 2011), अपर कलेक्टर, जिला इंदौर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ–साथ संभागीय उप परिवहन आयुक्त, इंदौर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
30/12/2022
(ब्रजेश सक्सेना)
उप सचिव, 'कार्मिक'
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक पी–1033819/2022/2/एक भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपि

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव /सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन/राजस्व/परिवहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर।
4. परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला इंदौर।
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
7. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष–5/6/7(3)/अधीक्षण।
8. विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।
9. अवर सचिव (स्थापना), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर उक्त आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर डालने का कष्ट करें।
10. संबंधित अधिकारी ....।
11. आर्डर बुक/ पदोन्नति/विभागीय जांच/गोपनीय चरित्रावली/पेंशन [illegible] सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

30/12/2022

उप सचिव, 'कार्मिक'
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

विधा०स० तारां-प्र०क्र० 2854 परिशिष्ट-ब

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी 2025—फाल्गुन 1, शक 1946

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2025

क्र. 305-1763-2022-आठ.—यत:, राज्य सरकार ने मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अधिसूचना क्रमांक एफ 1-14-2011-आठ, दिनांक 5 नवम्बर, 2015 द्वारा विनिर्दिष्ट संपूर्ण क्षेत्र तथा जिलों में, उक्त अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एकल सदस्यीय प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का गठन किया था;

और, यत: प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के कृत्यों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) के अधीन लाए जाने हेतु अधिसूचित किया गया है, इन कृत्यों के समय सीमा में निष्पादन तथा इस कार्य हेतु उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि, एकल सदस्यीय प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाए;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (2) के द्वितीय परंतु के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रं. एफ 1-14-2011-आठ, दिनांक 5 नवम्बर, 2015 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रदेश के 10 राजस्व संभागों में पदस्थ आयुक्त, राजस्व संभाग को, उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले जिलों हेतु, उक्त अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एकल सदस्यीय प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का गठन करती है.

No. 305-1763-2022-VIII.—Whereas, State Government has constituted a single member Regional Transport Authority *vide* its Notification No. F-1-14-2011-VIII, dated 5th November, 2015 under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) to exercise the powers and perform the duties conferred by the said Act or any other Act for the whole of the area and districts specified therein;

AND WHEREAS, the functions of the Regional Transport Authority have been notified to be brought under provisions of the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010 (No. 24 of 2010), for the timely performance of these functions and for fixing responsibility for the same, the State Government considers it necessary to reconstitute the single member Regional Transport Authority;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with second proviso to sub-section (2) of Section 68 of the said Act and in supersession of this Department's notification No. F-1-14-2011-VIII, dated 5th November, 2015, the State Government, hereby, constitutes single member Regional Transport Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred on the Commissioner, Revenue Division posted in 10 Revenue Divisions of the State for the Districts falling under their jurisdiction by the said Act or any other Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष सिंह, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.